मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय-भोपाल

क्रमांक/उपार्जन/2008-09/ 639 भोपाल, दिनांक 06.10.08

प्रति,

जिला प्रबंधक,
म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,
रीवा/सतना/सीधी/उमरिया/कटनी/सिंगरौली/जबलपुर/मण्डला/डिंडोरी/नरसिंहपुर

विषयः-खरीफ विपणन वर्ष 2008-2009 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत धान का उपार्जन।

खरीफ विपणन वर्ष 2008-2009 में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान का उपार्जन कार्य म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा 01 अक्टूबर, 2008 से प्रारंभ किया जाएगा । वर्ष 2008-09 में शासन द्वारा निगम को उपार्जन कार्य हेतु जबलपुर संभाग/सिवनी व बालाघाट जिलो को छोड़कर एवं रीवा संभाग (शहडोल व अनूपपुर जिलों को छोड़कर) आवंटित किये हैं, जिनमें उपार्जन की व्यवस्था पूर्ण की जाये । वर्ष 2008-2009 में कारपोरेशन धान का उपार्जन विकेन्द्रीकृत योजना के तहत करेगा जिसके अनुसार राज्य की एजेंसियां(कारपोरेशन एवं विपणन संघ) को आवंटित जिलों में उपार्जित धान से तैयार चावल राज्य की गोदामों में संग्रहित किया जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा । इस हेतु विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे । **कार्पोरेशन द्वारा धान उपार्जन का कार्य गत वर्ष अनुसार केवल "कृषक साख सेवा सहकारी समितियों" के माध्यम से ही कराया जाएगा, जो कार्पोरेशन के एजेण्ट के रूप में कार्य करेंगी, साथ ही कार्पोरेशन मण्डियों में उपार्जन का कार्य नहीं करेगा । जिलेवार धान उपार्जन का अनुमान पृथक से अवगत कराया जायेगा । धान उपार्जन संबंधी अन्य प्रमुख निर्देश निम्नवत हैं :-**

01. समर्थन मूल्य:-

1.1 खरीफ विपणन वर्ष 2008-2009 में खरीदी हेतु भारत सरकार के द्वारा औसत अच्छी किस्म(एफ0ए0क्यू0) धान का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः- **(संलग्न परिशिष्ट 01 अ)**

मोटा धान (एफ.ए.क्यू) रू0 850.00 प्रति क्विंटल
धान ग्रेड - ए - (एफ.ए.क्यू.) रू0 880.00 प्रति क्विंटल

1.2 खरीदी पंजी- सभी क्रय केन्द्रों पर खरीदी पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें क्रय के समय विक्रेता कृषक का नाम, पता, उसकी ऋण पुस्तिका का क्रमांक तथा धान का बोया गया रकबा भी अंकित करना अनिवार्य होगा ।

1.3 भारत सरकार के स्तर से वर्ष 2008-2009 हेतु औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ0ए0क्यू0) के स्पेसिफिकेशन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्न है । प्राप्त स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही धान की खरीदी की जाएगी । निर्धारित से कम गुणवत्ता का धान कदापि क्रय नहीं किया जाएगा ।

1.4 धान की गुणवत्ता पर जिला प्रबंधक विशेष रूप से ध्यान देंगे और निर्धारित स्पेसिफिकेशन के निर्देशों की प्रति एवं एफ0ए0क्यू0 धान के माडल सेम्पल सील करके प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि कृषक तथा क्रेता समिति के प्रबंधकों को एफ0ए0क्यू0 धान की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार का संदेह न रहे ।

02. समर्थन मूल्य और क्रय केन्द्रों का प्रचार-प्रसार:-

2.1 सभी क्रय केन्द्रों पर 7 फीट x 3 फीट साईज के बैनर सफेद कपड़े पर लाल स्याही से निम्न विवरण लिखकर प्रदर्शित किए जावेंगे:-

" म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी "
जिला ....खरीदी केन्द्र..............................
समर्थन मूल्य(एफ0ए0क्यू0)मोटा धान रूपये 850.00 प्रति क्विंटल
समर्थन मूल्य(एफ0ए0क्यू0)ग्रेड ए धान रूपये 880.00 प्रति क्विंटल

वर्गीकरण को निम्नानुसार बैनर तैयार कराकर प्रदर्शित किया जाए:-

" एफ0ए0क्यू0 स्कंध हेतु स्वीकृत विनिर्दिष्टयां (अधिकतम) "
मोटे धान हेतु- नमी - प्रतिशत, बाह्य पदार्थ - प्रतिशत(कार्बनिक.....अकार्बनिक....)
क्षतिग्रस्त,बदरंग दाने प्रतिशत, अपरिपक्व दाने प्रतिशत,
ग्रेड"एँ धान हेतु- उक्त के अतिरिक्त निम्न श्रेणी की धान का मिश्रण .... प्रतिशत तक *

क्रय केन्द्रों पर एजेन्ट सेवा सहकारी समिति उपरोक्तानुसार कपड़े का बैनर स्वयं के व्यय पर लगवाएगी तथा खरीदी की निरंतरता को देखते हुए एनालिसिस किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ।

2.2 जिला प्रबंधक किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा तथा कार्पोरेशन के द्वारा धान की खरीदी हेतु की गई व्यवस्थाओं के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए पोस्टर, हैण्डबिल इत्यादि छपवाकर जिला मुख्यालय, अनुविभाग, तहसील, जनपद पंचायतों तथा जिले के प्रमुख ग्राम पंचायतों और क्रय केन्द्रों पर लगवाने की व्यवस्था करें ।

खरीदी व्यवस्थाओं का प्रचार-प्रसार जिला कलेक्टर के सहयोग से पंचायत सचिव, कोटवार पटेलों और पटवारियों के माध्यम से भी कराया जाए । साथ ही मण्डी सचिवों के माध्यम से लाऊड स्पीकर पर मंडियों में एक-दो बार घोषणा करायें।

03. खरीदी केन्द्रों की स्थापना:-

विगत खरीफ वर्ष 2008-2009 हेतु कारपोरेशन द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों का विवरण **परिशिष्ट-02 पर संलग्न है ।**

उपार्जन केन्द्रों की स्थापना के संबंध में, विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर केन्द्रों का चयन किया जाए । इस संबंध में अविलम्ब जिला कलेक्टर से संपर्क स्थापित कर **यह निवेदन किया जाए कि विगत पाँच वर्षों में किए गये अच्छे कार्य के आधार पर ही सेवा सहकारी समितियों को उपार्जन एजेण्ट नियुक्त किया जाए । यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है । इसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाए तथा इन केन्द्रों का चयन कलेक्टर से परामर्श कर पूर्ण कर लिया जाए तथा मुख्यालय को अवगत कराया जाये ।**

04. खरीदी केन्द्रों पर कांटे-बांट सुतली आदि की व्यवस्था:-

खरीदी केन्द्रों पर धान खरीदी के लिए स्टेंसिल, स्याही, कांटा-बांट, सुतली एवं सूजा आदि की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सेवा सहकारी समितियों का रहेगा । जिला प्रबंधक स्वयं सभी खरीदी केन्द्रों पर जाकर उक्त व्यवस्था की पुष्टि करेंगे ।

05. एजेण्ट समितियों के लिए साख-सीमा:-

धान उपार्जन हेतु एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अनुमानित उपार्जन के अनुपात में साख-सीमा स्वीकृत की जाएगी । गत तीन वर्षों की खरीदी के आधार पर समितियों को स्वीकृत की जाने वाली साख-सीमा का निर्धारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाना उचित होगा ।

06. ग्रेडेशन व वर्गीकरण:-

धान की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियां(स्पेसीफिकेशन) के अनुसार ही की जाएगी । वर्ष 2008-2009 हेतु एक समान विनिर्दिष्टियाँ संलग्न है । उक्त मापदण्ड अनुबंध पत्र के भाग होंगे तथा समितियों द्वारा इन्हीं मापदण्डों के अनुरूप खरीदी की जाना आवश्यक होगा । कृषक जब खरीदी केन्द्र पर समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु धान लाएं, उस समय उसकी गुणवत्ता के बारे में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएः-

1. स्कंध का रंग, आकृति एवं सूरत प्राकृतिक होना चाहिए ।
2. धान में नमी **17 प्रतिशत** से अधिक न हो ।

3. यदि कृषक द्वारा विक्रय हेतु लाई गई धान को उक्त विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं है, तो उसको निम्न सलाह दी जाएः-

(अ) यदि अधिक नमी है तो वह धान को सुखाकर विक्रय हेतु लाएं ।

(ब) यदि धान की सफाई(छन्नी करने) से धान निर्धारित वर्गीकरण में आ सकती है तो सफाई करके लाएं ।

उपरोक्तानुसार धान का परीक्षण एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किया जाएगा एवं इसकी गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व एजेण्ट समिति का ही होगा । इस हेतु समिति सेवकों/कर्मियों को उपार्जन वाले जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिलेवार प्रशिक्षणार्थियों की सूची सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी । सूची अनुसार कर्मियों को कारपोरेशन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी । कार्पोरेशन के अधिकारी भी समय-समय पर धान की गुणवत्ता की तद्नुसार जांच करेंगे । इस हेतु प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु निरंतर निगरानी की व्यवस्था की जाना आवश्यक रहेगा ।

खरीदे गए स्कंध के विश्लेषण और नमूने के संबंध मेंः-

क्रय किए गये स्कंध के लिए स्वीकृति-पत्र(Acceptance Note) जारी करने से पहले भंडारण केन्द्र पर पदस्थ निगम कर्मी का यह दायित्व होगा कि स्कंध निर्धारित एफ0ए0क्यू0 मापदण्ड के अनुरूप ही हो । क्षेत्रीय एवं जिला प्रबंधक की यह जवाबदारी है कि वह समय-समय पर खरीदी केन्द्रों पर स्वयं या प्रतिनिधि को भेजकर गुणवत्ता की जांच कराएं तथा निम्न गुणवत्ता का स्कंध पाए जाने पर यथोचित कार्यवाही करें ।

धान उपार्जन कार्य में नियुक्त कर्मचारियों का यह दायित्व रहेगा कि वे खरीदे गए लॉट के दो नमूने जो कि 500 ग्राम कपड़े की थैली में और 100 ग्राम पोलीथिन थैली में(नमी के लिए) चपड़ी से सील कर अनिवार्यतः जिला कार्यालय भेजें । प्राप्त नमूनों में से 25 प्रतिशत रेण्डम सेम्पल क्षेत्रीय कार्यालय को परीक्षण हेतु अनिवार्य रूप से भेजें । शेष 75 प्रतिशत जिला कार्यालय में सुरक्षित रखें । क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जिला प्रबंधक नमूनों का विश्लेषण कर जहाँ भी विसंगतियां पाई जाती हैं, संबंधित खरीदी केन्द्र को अवगत कराएंगे तथा नियमानुसार कार्यवाही करेंगे । जिला कार्यालय द्वारा नमूनों को सुरक्षित रखा जाएगा और जब भी मुख्यालय द्वारा विश्लेषण आदि के लिए मांगा जाए तो तुरन्त उपलब्ध कराया जाएगा ।

07. धान की भरती बारदानों में:-

उपार्जित धान के लिए 50 किलोग्राम भर्ती वाले बारदानों का उपयोग किया जाएगा । प्रत्येक बोरे में 45 किलोग्राम शुद्ध धान की भर्ती की जाएगी । समितियों द्वारा कृषक की धान खरीदी के समय उपयोग किये जा रहे बारदाना को पलट कर उपयोग किया जाये जिससे चावल जमा के समय मिलर्स द्वारा बारदाना पुनः पलट कर बारदाना को मूल स्थिति में लाकर चावल जमा किया जावे।

एजेण्ट सेवा सहकारी समिति द्वारा धान की ग्रेडवार (कॉमन और ग्रेड-ए) अलग-अलग बोरों में भरती की जाएगी तथा बोरों की सिलाई निम्न रंगों की छापा एवं सुतली से की जाएगीः-

01. बोरों पर गाढ़े नीले रंग का छापा (स्टेन्सिलिंग)
02. सूतली का रंग हरा होगा ।

इस संबंध में समितियों को निर्देशित किया जाए कि मोटे धान एवं ग्रेड-ए धान को पृथक-पृथक थप्पी में लगाएं एवं धान संग्रहण केन्द्र पर सामान्यतः एक ट्रक में एक ही ग्रेड की धान डिलेव्हरी के लिए लाई जाए । डिलेव्हरी प्राप्त करने वाले कर्मी का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि वे मोटे धान एवं ग्रेड ए धान का भलीभांति परीक्षण करने के उपरांत ही एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता स्कंध की समितियों से डिलेवरी प्राप्त करें । भुगतान के समय मोटे एवं ग्रेड ए धान की डिलेव्हरी में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित डिलीव्हरी प्राप्त करने वाले कर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी ।

08. एजेण्ट सेवा सहकारी समिति के साथ इकरारनामा:-

8.1 उपार्जन केन्द्र पर जो सेवा सहकारी समिति कार्यरत हो, उसके साथ **परिशिष्ट-03 पर** संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित किया जाए । **कृपया समस्त संबंधित सेवा सहकारी समितियों के साथ इकरारनामे निष्पादित कर मुख्यालय को सूचित करें ।** इसके लिए उपयुक्त होगा कि समितियों के व्यवस्थापकों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्यालय में एक निश्चित तिथि पर बुलवाकर इकरारनामे निष्पादित कर खरीदी संबंधित निर्देश भी दिए जावें ।

8.2 सेवा सहकारी समितियों को मण्डी शुल्क/निराश्रित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है । उक्त शुल्कों का भुगतान गत वर्ष अनुसार सीधे संबंधित विभाग को कार्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा । इस हेतु कार्पोरेशन द्वारा समितियों को प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।

09. धान का परिवहन:-

एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों के द्वारा क्रय की गई धान का परिवहन म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता द्वारा अधिकतम 07 दिवस के अंदर किया जाएगा । दुर्गम उपार्जन केन्द्रों से धान का परिवहन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा । **यदि किसी परिवहन केन्द्र की दरें स्वीकृत नहीं हैं, तो वहाँ की परिवहन दरों की स्वीकृति तात्कालिक तौर पर जिला परिवहन समिति से स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त कर क्षेत्रीय प्रबंधक की सहमति पश्चात् परिवहन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए और उसकी पुष्टि मुख्यालय से कराई जाए ।** संग्रहण केन्द्र पर धान तौलकर देने की जिम्मेदारी एजेण्ट सेवा सहकारी समिति की रहेगी। धान का परिवहन आकस्मिक रूप से कार्पोरेशन के वाहनों से भी किया जा सकेगा । उपार्जन केन्द्र पर समिति द्वारा क्रय किए गये धान की मात्रा की सूचना समिति प्रबंधक द्वारा बैंक के माध्यम के अतिरिक्त सीधे भी जिला प्रबंधक को दी जा सकती है, ताकि उक्त स्कंध के शीघ्र परिवहन की व्यवस्था की जा सके । यदि कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता नियत समय में स्कंध का उठाव नहीं करता है तो समितियां अपने स्तर पर उपार्जित स्कंध का संग्रहण केन्द्र तक परिवहन कराएंगी । ऐसे परिवहन में **यदि कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता के लिए स्वीकृत दरों से अधिक व्यय होता है तो समिति द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर कार्पोरेशन द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा अंतर राशि की वसूली अनुबंधित परिवहनकर्ता से की जाएगी ।**

10. बारदाना व्यवस्था:-

10.1 जिला मुख्यालय से खरीदी केन्द्रों तक परिवहन कर एवं संबंधित समितियों से पावती प्राप्त कर उन्हें बारदाने सुपुर्द करने की जिम्मेदारी जिला प्रबंधकों की होगी । ध्यान रहे कि किसी भी समिति को उसके द्वारा अनुमानित उपार्जित मात्रा से अधिक के बारदाने प्रदाय नहीं किए जायें । समितिवार आवश्यकता का आंकलन करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला प्रबंधक की होगी और क्षेत्रीय प्रबंधक इसे नियमित रूप से मॉनीटर करेंगे । **उपार्जन कार्य समाप्त होने पर शेष बारदाने समितियों से वापिस प्राप्त करने अथवा निर्धारित मूल्य पर उनकी राशि**

समितियों से वसूल करने की जिम्मेदारी भी जिला प्रबंधक की रहेगी । उपार्जन कार्य समाप्ति के पश्चात् 15 दिन के अन्दर बारदानों का समस्त लेन-देन का हिसाब अंतिम करने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के बारदाना प्रभारी और जिला प्रबंधक की होगी ।

10.2 सहकारी समितियों के द्वारा यदि उपार्जन समाप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर अवशेष बारदाने कार्पोरेशन को वापिस नहीं किए जाते हैं, तो अवशेष बारदानों की कीमत कार्पोरेशन द्वारा पेनल दर निर्धारण अनुसार प्रति नग अनुसार वसूली/समायोजन कर **समितियों से हिसाब हर स्थिति में उपार्जन समाप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर पूर्ण कर लिया जाए ।** वसूली की दर पृथक से सूचित की जावेगी। वसूली/समायोजन पश्चात् अंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र (C.C) मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित् किया जाए। पूर्व वर्षों का यह अनुभव रहा है कि उपार्जन कार्य की समाप्ति के बाद भी बारदानों का हिसाब-किताब पूर्ण नहीं किया गया है, इस कारण कार्पोरेशन की एक बड़ी राशि अवरूद्ध हो गई है। इस बार इसकी पुनरावृत्ति किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। बारदानों पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाना आवश्यक हैं तथा यह कार्य प्रत्येक स्थिति में पूर्ण किया जाये ।

10.3 राइस मिलर्स को मिलिंग हेतु धान 50 किलोग्राम के बारदानों में प्रदाय की जाएगी । धान की तुलना में चावल के लिए कम बोरों की आवश्यकता होती है, इस कारण मिलर को प्रदत्त धान भरे बारदानों में से चावल भरने हेतु उपयोग के पश्चात् कुछ बारदाने मिलर्स के पास शेष रह जाएंगे,राज्य स्तरीय स्टेडिंग कमेटी के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मिलर्स से खाली बारदाना वापस प्राप्त नहीं किया जायेगा अपितु उनसे बारदाना की नियत राशि प्राप्त की जायेगी जिसका दर निर्धारण पत्रक पृथक से किया जावेगा ।

11. धान के किस्म पर विवाद बाबत्:-

11.1 धान की गुणवत्ता को लेकर किसी भी संभावित विवाद के निराकरण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे:-

1. कलेक्टर (या उनके प्रतिनिधि)	अध्यक्ष
2. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	सदस्य
3. जिला आपूर्ति/ खाद्य अधिकारी	सदस्य
4. जिला प्रबंधक,म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो0	संयोजक/सदस्य
5. महाप्रबंधक/ प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक	सदस्य.
6. उप संचालक, कृषि	सदस्य
7. जिला प्रबंधक/प्रतिनिधि भा.खा.नि.	सदस्य

उपरोक्त समिति जिला स्तरीय प्रशासकीय समिति कहलाएगी । यह समिति जिले में खरीदी संबंधी समस्त शिकायतों का अंतिम निराकरण करेगी । धान के संग्रहण के उपरांत उसकी गुणवत्ता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित गोदाम प्रभारी व जिला प्रबंधक, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन की होगी ।

11.2 समितियों के पास शेष रहे धान के परिवहन के विषय में क्षेत्रीय प्रबंधक समस्त परिवहनकर्ताओं के साथ सप्ताह में एक दिन समीक्षा बैठक आयोजित कर परिवहनकर्ताओं को उपार्जित धान की जानकारी देंगे । परिवहनकर्ताओं के द्वारा परिवहन की गई धान की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उन्हें परिवहन कार्य संपादित करने हेतु आवश्यक निर्देश भी देंगे । इस साप्ताहिक बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे एवं धान के परिवहन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे ।

12. निरीक्षण एवं अनुपालन:-

12.1 जिला प्रबंधकों का उत्तरदायित्वः-

प्रत्येक जिला प्रबंधक द्वारा प्रति सप्ताह कम से कम 10 से 15 समितियों तथा उन क्षेत्र में आने वाले भंडारगृहों का निरीक्षण किया जाएगा ।

1. सेवा सहकारी समितियों का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण ।
2. निरीक्षण के दौरान धान की प्रगतिशील खरीदी, परिवहन की गई मात्रा, बारदानों की स्थिति एवं शेष स्कंध की जानकारी संबंधित समिति से प्राप्त करना और आवश्यकता होने पर बारदाना भिजवाने की व्यवस्था करना ।
3. उपार्जित धान के वजन एवं गुणवत्ता का निरीक्षण तथा किसी विसंगति की स्थिति में संबंधित समिति को आवश्यक निर्देश देना ।
4. निरंतर संपर्क एवं निरीक्षण द्वारा यह व्यवस्था कायम करना कि संग्रहण केन्द्र पर परिवहन हेतु ट्रक में लोड करके ले जाई जा रही धान एक ही किस्म की हो ।
5. बोरों में लगाए गये स्टेंसिल एवं सिलाई व्यवस्थित हों। जो स्टेंसिल लगाया जाए, वह साफ-साफ दिखे एवं बोरों में 14 क्रास टांके की सिलाई हो । **यह स्पष्ट किया जाता है कि बिना सेवा सहकारी समिति के नाम के स्टेन्सिल के कोई भी उपार्जित धान स्वीकार नहीं की जाए। साथ ही निर्धारित से कम टांको से सिलाई किये गये बोरो से प्रति बोरी एक रूपये दांडिक कटौत्रा किया जायेगा ।**
6. **बोरों की सिलाई जिस रंग(हरी) की सुतली से निर्धारित की गई है, उसी रंग की सुतली का उपयोग किया गया है एवं छापे का गाढ़ा नीला रंग सुनिश्चित करेंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे ।**
7. निरीक्षण के दौरान जो किसान समिति में उपस्थित होंगे, उनसे भुगतान प्राप्ति व अन्य समस्याओं पर चर्चा करेंगे एवं उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल करायेंगे व इस बिन्दु पर अपनी टीप अवश्य देंगे ।

8. निरीक्षण के दौरान संग्रहण केन्द्र पर संग्रहण हेतु भेजे गए धान का शत-प्रतिशत वजन समक्ष में कराया जाएगा एवं तौल-पत्रक पर हस्ताक्षर भी किए जावेंगे । निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संग्रहण केन्द्र पर लाए गये धान के वजन एवं गुणवत्ता के बारे में कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है ।

9. समितियों के किये गए निरीक्षण का साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रति शनिवार अपरान्ह में क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजा जाएगा । क्षेत्रीय प्रबंधक निराकरण हेतु की गई कार्यवाही व योग्य बिन्दुओं को अपने स्पष्ट प्रस्ताव व अनुशंसा के साथ मुख्यालय में उपार्जन कक्ष को प्रेषित् करेंगे।

12.2 क्षेत्रीय प्रबंधक का उत्तरदायित्वः-

क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रति सप्ताह कम से कम पाँच समितियों व पाँच संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे । निरीक्षण के दौरान जिला प्रबंधक द्वारा संपादित कार्यों का निरीक्षण करेंगे और संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त स्टॉक की टेस्ट चैकिंग करायेंगे ।

निरीक्षण के दौरान मिलर्स को मिलिंग हेतु दी जा रही धान के वजन की जांच करेंगे एवं संबंधित तौल पत्रक पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि मिलर को जो धान दी गई है, वह वजन एवं गुणवत्ता में सही है, ताकि इस बाबत् मिलर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं कर सके । निरीक्षण के समय संग्रहण केन्द्रों पर आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे ।

क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जिला प्रबंधकों के निरीक्षण पश्चात् मुख्यालय भेजे जानेवाले प्रतिवेदन का प्रारूप संलग्न है (**परिशिष्ट क्रमांक-04**) । प्रत्येक निरीक्षण के उपरांत निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन मुख्यालय अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा ।

क्षेत्रीय प्रबंधक अपने अधीनस्थ जिलों की संकलित जानकारी निर्धारित तिथि तक मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान की मात्रा के ग्रेडवार(कॉमन व ग्रेड-ए) अंतिम आंकड़े उपार्जन अवधि समाप्ति के 05 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से मुख्यालय को प्रेषित् किए जावें ताकि राज्य शासन को समय पर दावा प्रस्तुत किया जा सके । यह व्यवस्था संबंधित जिला प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

क्षेत्रीय प्रबंधक धान उपार्जन के दौरान पूर्ण पर्यवेक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। उपार्जन से संबंधित सभी लेखा पत्रकों के संधारण पर भी नजर रखेंगे । विशेष समस्या, जिसका मुख्यालय स्तर से निराकरण वांछित हो, उसे तत्काल ध्यान में लाकर निर्णय/ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे ।

13. एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों को भुगतानः-

प्रत्येक एजेण्ट सेवा सहकारी समिति निर्धारित गोदाम पर उपार्जित धान की डिलेव्हरी देने के पश्चात् भुगतान हेतु निगम के संबंधित जिला कार्यालयों में देयक प्रस्तुत करेगी । समितियों को भुगतान एक्सेप्टेंस नोट के आधार पर किया जाएगा । सहकारी समितियों के द्वारा देयक के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए जाएंगेः-

01. चालान पत्रक
02. तौल पत्रक
03. स्वीकृति पत्रक
04. कृषक पर्ची तथा किसानों की सूची वाली पंजी, जिसमें ऋण पुस्तिका का क्रमांक अंकित हो ।

खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 के लिए भारत सरकार द्वारा एजेण्ट समितियों के लिए आनुषांगिक व्यय के मद में रू0 8.23 प्रति क्विंटल की दर स्वीकृत की गई थी । भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2008-2009 के लिए इसी दर की प्रत्याशा में, सुविधा की दृष्टि से एजेण्ट सहकारी समिति को प्रति क्विंटल रू0 8.23 की दर से भुगतान किया जाएगा । **समितियों द्वारा अंतरिम(प्रोवीजनल) देयक प्रस्तुत किए जाने पर देयकों के परीक्षणोपरांत 05 दिन के अंदर रू0 5.00 प्रति क्विंटल के आधार पर भुगतान किया जाए तथा शेष राशि का भुगतान समितियों की ओर से अंकेक्षित लेखे प्राप्त होने पर नियमानुसार किया जाएगा। इस मद के अंतर्गत आनुषांगिक व्यय का अंतिम भुगतान उसी वास्तविक दर के आधार पर अंतिम रूप से किया जाएगा,जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकृत होगी। यदि भारत सरकार द्वारा अनुषांगिक व्यय की स्वीकृति में कोई परिवर्तन अथवा कमी की जाती है तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं पद्धति अनुसार वांछित कार्यवाही/ जानकारी के आधार पर कार्पोरेशन समितियों से इसकी वसूली/भुगतान अंतिम देयकों से कटौत्रा करने हेतु अधिकृत होगा व समितियों पर यह शर्त बंधनकारी होगी ।**

परिशिष्ट-05 एवं 06 में अंतरिम एवं अंतिम देयक के भुगतान की प्रस्तुति के साथ एजेण्ट सेवा सहकारी समितियां इस आशय का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगी कि उन्होंने उपार्जन पश्चात् कार्पोरेशन से प्राप्त अतिशेष बारदाना कार्पोरेशन को लौटा दिया है । यदि बारदाना लौटाया जाना शेष है तो उसका समायोजन इस अंतिम देयक से कर लिया जाए, किंतु किसी भी स्थिति में बारदानों का अंतिम हिसाब-किताब किए बिना समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम देयक का भुगतान नहीं किया जाए । **किसी भी स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं का बारदाना भरती में उपयोग नहीं किया जाएगा, केवल कार्पोरेशन द्वारा प्रदायित बारदाना ही भरती में उपयोग किया जाएगा ।**

14. <u>धान खरीदी की सूचनाः-</u>

जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक खरीदे गए धान की जानकारी संलग्न परिशिष्टों क्रमांक **07,08अ एवं 08ब** में निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे । जिला प्रबंधक द्वारा प्रति सप्ताहान्त **संलग्न <u>परिशिष्ट क्रमांक-09 अनुसार</u>** उपार्जित धान की मात्रा एवं गुणवत्ता एफ0ए0क्यू0 होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रेषित् करना अनिवार्य होगा । **<u>यदि सप्ताहान्त जानकारी मुख्यालय को अधिकतम अगले सोमवार तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए जिला प्रबंधक जवाबदेह होंगे ।</u>** खरीदी की केन्द्रवार पाक्षिक जानकारी भी अनिवार्य रूप से प्रेषित् की जाए । गत वर्ष का यह अनुभव रहा है कि कतिपय जिला प्रबंधकों ने समय पर खरीदी की जानकारी मुख्यालय को नहीं दी । इस प्रकार की त्रुटि अक्षम्य होगी । अतः इस हेतु आवश्यक होगा कि किसी एक अधिकारी को खरीदी की सूचना मुख्यालय प्रेषित् करने का कार्य दें और इसकी सूचना महाप्रबंधक(उपार्जन) को दें, ताकि निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में दायित्व निर्धारण किया जा सके ।

मंडियों में धान की ग्रेडवार दरों की साप्ताहिक जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजें । **<u>(परिशिष्ट क्रमांक-10)</u>** । इस जानकारी में मंडी की सप्ताह में कुल आवक व निगम के द्वारा की गई खरीदी की मात्रा का भी उल्लेख किया जाएगा ।

(डॉ0 मनोहर अगनानी)
प्रबंध संचालक

पृ0क्र0/उपार्जन/2008-09/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/ सहकारिता/कृषि/ राजस्व विभाग, भोपाल ।
02. आयुक्त सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, म0प्र0भोपाल ।
03. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म0प्र0भोपाल ।
04. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल ।
05. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश ।
06. प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 (अपेक्स बैंक),भोपाल ।
07. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश ।
08. जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, समस्त (म0प्र0) ।
09. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त (मध्यप्रदेश) ।
10. महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, समस्त जिले (म0प्र0)।

11. महाप्रबंधक(समस्त), मुख्यालय-भोपाल ।
12. कंपनी सचिव, मुख्यालय-भोपाल ।
13. संचालक(वित्त) सह वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय-भोपाल । वे धान उपार्जन हेतु लेखा संबंधी निर्देश यदि कोई हों तो जारी करवायेंगे ।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी(अंकेक्षण/क्लेम) मुख्यालय-भोपाल ।
15. क्षेत्रीय प्रबंधक, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, समस्त (म0प्र) ।
16. लेखाधिकारी(समस्त) मुख्यालय-भोपाल ।
17. निजी सचिव,अध्यक्ष महोदय,म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,भोपाल।
18. निजी सचिव, उपाध्यक्ष महोदय, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।
19. प्रबंध संचालक के स्टॉफ ऑफीसर, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, मुख्यालय-भोपाल ।
20. व्यवसाय सलाहकार(गुणवत्ता नियंत्रण) मुख्यालय-भोपाल ।

महाप्रबंधक(उपार्जन)

परिशिष्ट-01 अ

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

<u>मुख्यालय-भोपाल</u>

धान उपार्जन के जिलेवार उपार्जन अनुमान

(वर्ष 2008-09 में उपार्जित मात्रा के अनुपात में)

(मात्रा मे0टन में)

क्र0	**जिले का नाम**	**अनुमानित उपार्जन**
01.	सतना	3,000
02	रीवा	3,000
03	सीधी	4,000
04	उमरिया	2,000
05	कटनी	3,600
06	जबलपुर	15,000
07	मण्डला	2,000
08	डिंडोरी	400
09	नरसिंहपुर	2,000
10	छिन्दवाड़ा	---
	योगः-	**35,000**

परिशिष्ट क्रमांक - 03

<u>सेवा सहकारी समितियों के साथ इकरारनामा</u>

यह इकरारनामा आज दिनांक .... को म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, जिसे आगे चलकर **कार्पोरेशन** के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा सेवा सहकारी समिति .... जिला .... जिसे आगे चलकर **समिति** के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य खरीफ वर्ष 2008-2009 में समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कृषकों से धान क्रय कर सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन की ओर से सम्बद्व राज्य/केन्द्रीय भंडार गृह निगम/तिलहन/विपणन संघ/भारतीय खाद्य निगम के गोदाम तक पहुंचाकर डिलीवरी लेने के कार्य के लिये आगे उल्लेखित शर्तो पर निष्पादित किया गया है ।

02. कार्पोरेशन एजेण्ट समिति को उसके कार्यक्षेत्र में अपनी ओर से कृषकों से निश्चित समर्थन मूल्य पर कार्पोरेशन के निर्देशानुसार धान की खरीदी करने के लिये अधिकृत करता है । समिति कार्पोरेशन की ओर से समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये निर्धारित गुणवत्ता वाले एफ0ए0क्यू0 धान को तुलवायेगी एवं निर्दिष्ट स्थल तक पहुंचायेगी । खरीदे गये स्कंध के परिवहन की प्राथमिक जिम्मेदारी कार्पोरेशन पर रहेगी।

इकरारनामे की अन्य शर्ते निम्नानुसार हैः-

(क) समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रति क्विंटल औसत अच्छी किस्म के धान हेतु शासन द्वारा धान के लिये निर्धारित विनिर्दिष्टियां वर्ष 2008-2009 संलग्न है। उपरोक्तानुसार वर्गीकरण इस अनुबंध पत्र के भाग माने जायेंगे । **(जो परिशिष्ट -3 अ के रूप में संलग्न है)** खरीदे गए स्कंध की गुणवत्ता एफ0ए0क्यू0 गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए । अमानक स्तर के स्कंध की खरीदी के लिए उपार्जन सहकारी समिति का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा एवं ऐसे अमानक स्कंध के लिए समिति को कार्पोरेशन द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(ख) एजेण्ट समिति, उपार्जित स्कंध को सुरक्षित स्थान पर रखेगी एवं उसमें हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिये पूर्णतः जिम्मेदार रहेगी ।

क्रय केन्द्रों से धान परिवहन की व्यवस्था यह रहेगी कि कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता क्रय केन्द्रों से धान की सौ प्रतिशत तौल कराकर स्कंध प्राप्त करेगें तथा निकटतम गोदाम में जमा करेंगे । उपार्जन केन्द्र पर क्रय किए गये स्कंध का उठाव कार्पोरेशन द्वारा सात दिन के अंदर किया जाएगा । स्कंध जमा करते समय धान में आने वाली कमी का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा, लेकिन गोदाम में उपार्जित धान की डिलेवरी देते समय एजेण्ट समिति के प्रतिनिधि का उपस्थित रहना आवश्यक रहेगा

ताकि स्कंध की गुणवत्ता का निराकरण एजेण्ट समिति के प्रतिनिधि के समक्ष हो सके एवं किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति से बचा जा सके । यदि किसी जगह कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता धान परिवहन करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में यदि एजेण्ट समिति स्वयं धान का परिवहन कार्पोरेशन के संग्रहण केन्द्र तक करती है तो समिति को इसके लिए वास्तविक परिवहन व्यय का भुगतान देयक प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

समिति उपार्जित स्कंध को संबंधित गोदाम में जमा कराके तुरंत स्वीकृति पत्रक प्राप्त करेगी । समिति द्वारा प्रत्येक दिन की **खरीदी की कृषकवार सूची तथा भुगतान की जानकारी संलग्न प्रारूप(परिशिष्ट-11) में रखी जाएगी और उस पर संबंधित कृषकों से भुगतान पावती के हस्ताक्षर कराये जाएंगे एवं प्रत्येक दिन की समाप्ति पर उस दिन की खरीदी का तथा प्रारंभ से प्रगतिशील योग लगाये जाएगें और संबंधित प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर भी किये जाएगें ।** उपार्जन अंतरिम देयक **संलग्न परिशिष्ट-05** पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ निम्न दस्तावेज दो प्रतियों में संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

01. चालान पत्रक
02. जमा के समय तैयार किये गये तौल पत्रक ।
03. भंडारण केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्रक ।
04. कृषक पर्चियां एवं किसानों की सूची वाली पंजी की प्रतिलिपि, जिसमें ऋण पुस्तिका का क्रमांक अंकित है ।

समिति द्वारा कार्पोरेशन के निर्धारित गोदाम में स्कंध जमा करने पर तत्काल उसका अंतरिम देयक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया जाएगा और उपार्जन की समाप्ति पर एक **अंतिम बिल(संलग्न परिशिष्ट-6)** प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ग) तौल, ग्रेडेशन, संग्रहण, परिवहन तथा अन्य व्यवस्था आदि बातों के संबंध में एजेण्ट समिति को कार्पोरेशन द्वारा जो भी निर्देश और सुझाव दिये जाएगे उनका यह निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हुये कार्य करेगी ।

(घ) एजेण्ट समिति कार्पोरेशन की ख्याति और उनके व्यवसायिक हितों का उसी सन्निष्ठा से ध्यान रखेगी जैसा कि उससे वह अपनी ख्याति तथा अपने हितों को ध्यान में रखती है तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे कार्पोरेशन के व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(ड़) इस इकारारनामें के प्रभावशील रहते हुये एजेण्ट समिति अन्य समिति के एजेण्ट या आढ़तियों के प्रतिनिधि के रूप में या अपने स्वयं के खाते में धान की खरीदी नहीं करेगी ।

(च) खरीदी कार्य में लगने वाली सारी सामग्री यथा तराजू,कांटा-बांट,स्टेंसिल,सुतली,सूजा,छन्ना,रंग एवं हम्मालों का प्रबंध एजेण्ट समिति स्वयं करेगी, खाली बारदानों का प्रदाय कार्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा । बारदाने एजेण्ट समिति को एडवांस के रूप में दिये जाएगें और बारदाना वापिस न करने पर शेष बारदाना हेतु प्रति एस0बी0टी0 बारदाना की दर से समिति शेष बारदानों का मूल्य कार्पोरेशन को भुगतान करेगी अन्यथा कार्पोरेशन द्वारा अंतिम बिल के अन्तर्गत देय राशि के विरूद्ध कम प्राप्त बारदाने की राशि का समायोजन कर लिया जाएगा । बारदाना दर कारपोरेशन द्वारा पृथक से सूचित की जायेगी।

(छ) उपार्जन कार्य हेतु एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों को उनके द्वारा उपार्जित धान की मात्रा पर आनुषांगिक व्यय **रू0 8.23 प्रति क्विंटल की दर से आगामी शासन आदेश तक इस वर्ष भुगतान किया जाएगा । यदि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए अनुषांगिक व्यय की स्वीकृति में कोई परिवर्तन/संशोधन होता है तो वह समितियों पर बंधनकारी होगा ।** संस्थाओं द्वारा अंतरिम देयक प्रस्तुत किए जाने पर देयकों के परीक्षणोपरांत 05 दिन के अंदर रू0 5.00 प्रति क्विंटल के आधार पर भुगतान कर दिया जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान समितियों से अंकेक्षित लेखे प्राप्त होने पर किया जाएगा । सहकारी समितियों द्वारा प्रासंगिक व्ययों के दावे प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर कार्पोरेशन ऐसे दावों का परीक्षण कर समितियों का भुगतान निर्धारित चेनल(केन्द्रीय सहकारी बैंक) के माध्यम से करेगा ।

उपार्जन केन्द्रों से भंडारण स्थल पर परिवहन किए गये स्कंध के स्वीकृति पत्रक(एक्सेप्टेंस नोट) जारी होने के आधार पर निर्धारित मूल्य का 90% भुगतान केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तत्काल किया जाएगा ।

एजेण्ट समितियों द्वारा उपार्जन कार्य का ऑडिट कराया जाएगा तथा अंकेक्षित लेखे कार्पोरेशन को उपलब्ध कराये जाएंगे । इसके पश्चात् एक माह की अवधि में कार्पोरेशन ऐसे दावों का परीक्षण कर समितियों का भुगतान केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से करेगा । भुगतान न करने पर समितियों की लागत पूंजी पर ब्याज देय होगा, जिसका दावा समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ज) यदि एजेण्ट समिति के द्वारा इकरारनामे की किसी भी शर्त का उल्लधंन किया गया तो कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक(उपार्जन), क्षेत्रीय प्रबंधक या जिला प्रबंधक को इस इकारारनामें को कभी भी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप कार्पोरेशन को जो भी क्षति हुई हो,उसकी पूर्ति के

लिये एजेण्ट समिति उत्तरदायी होगी । **भारत शासन/राज्य शासन द्वारा धान उपार्जन संबंधी भविष्य में लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों/निर्देशों का पालन उभयपक्षों को बंधनकारी होगा ।**

(झ) यह इकरारनामा यदि उपरोक्त कंडिका(ज) के अनुसार निरस्त न कर दिया गया तो तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कार्पोरेशन एवं एजेट समिति के बीच कोई नया इकरारनामा अमल में न लाया जाए अथवा इसके किसी प्रावधान के आपरेशन से कार्पोरेशन के द्वारा एजेण्ट समिति को छूट न दी जाए ।

(3) यह इकरारनामा निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया गया हैः-

01. साक्षी................................
02. साक्षी................................

व्यवस्थापक/प्रभारी अधिकारी,
समिति की ओर से
दिनांक ....

संलग्नः-

1. विनिर्दिष्टयाँ
2. कृषक भुगतान सूची का नमूना
3. अंतरिम देयक का नमूना

जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक
कार्पोरेशन की ओर से
दिनांक ....

परिशिष्ट क्रमांक-04.

समिति स्तर पर निरीक्षण के दौरान भरा जाने वाला प्रतिवेदन

निरीक्षणकर्ता का नामः................................ पदः................................

1. निरीक्षण का दिनांक.
2. समिति स्तर पर बारदानों की उपलब्धता.
3. समिति स्तर पर उपलब्ध बारदानों की आवश्यकता, केन्द्र पर अतिशेष बारदाना की स्थिति में उसका अन्यत्र प्रेषण इत्यादि के संबंध में टीप.
4. समिति स्तर पर उपलब्ध बारदाना क्या एक सप्ताह की खरीदी के लिए पर्याप्त है.
5. निरीक्षण की दिनांक के पूर्व के गत सप्ताह तक खरीदी गई ग्रेडवार(कॉमन/ग्रेड ए) धान की मात्रा.
6. समिति के द्वारा क्रय किया गया स्कंध क्या निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार खरीदा गया है.
7. क्या समिति के द्वारा बोरों पर किस्मवार स्टेंसिल लगाया जाकर बोरों की सिलाई 14 क्रास टांके व निर्धारित रंग की सुतली से की गई है ?
8. निरीक्षण की दिनांक को समिति स्तर से संग्रहण केन्द्र तक परिवहन की गई धान की मात्रा एवं क्या आवश्यकतानुसार नियमित रूप से परिवहन कार्य हो रहा है ?
9. निरीक्षण की दिनांक को समिति पर उपलब्ध शेष धान की मात्रा.
10. समिति स्तर पर क्या कृषकों को दैनिक रूप से भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं तो कारण बताएं.

बिन्दु क्रमांक 11एवं 12 उपरोक्त बिन्दुओं के साथ-साथ सिर्फ क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा भरा जाए.

11. समिति के द्वारा कुल खरीदी- (निरीक्षण किये गये जिलों की भरी जाये ।)
    समिति स्तर पर निरीक्षण की दिनांक को प्राप्त समस्याएं एवं समस्याओं के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही व अन्य सुझावः-
12. विशेष टिप्पणी- अनुशंसा इत्यादिः-

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर.

समिति द्वारा कार्पोरेशन को प्रस्तुत किए जाने वाले अंतरिम देयक का प्रारूप

समिति का नाम व पताः-
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांकः-
कृषि उपज मंडी समिति का लायसेंस क्रमांकः-
अंतरिम बिल क्रमांक..................... दिनांकः-
वस्तु का नामः- धान मोटा/धान ग्रेड-ए औसत अच्छी किस्म (एफ0ए0क्यू0)

क्रमांक	विवरण	मात्रा	दर(समर्थन मूल्य)	राशि
01.	02.	03.	04.	05.
1.	भंडारगृह निगम को दो प्रति में संलग्न भंडारण रसीदों के अनुसार जमा स्कंध.			
2.	खरीदी से संबंधित प्रासंगिक व्यय रूपये 5.00 प्रति क्विंटल.			
योगः-				

मंडी शुल्क व निराश्रित शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की रहेगी ।

संलग्नकः- 1.
2.
3.
4.

व्यवस्थापक
एजेण्ट सहकारी समिति.

समिति द्वारा धान उपार्जन से संबंधित अंतिम बिल

अंतिम बिल क्रमांक..................दिनांक................

1. समिति का नाम एवं पता
2. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
3. कृषि उपज मंडी का लायसेंस क्रमांक
4. क्रय केन्द्र का नाम
5. क्रय वस्तु का नामः- धान मोटा/धान ग्रेड-ए औसत अच्छी किस्म(एफ0ए0क्यू0)
6. क्रय प्रारंभ करने तथा अंतिम खरीदी की दिनांक

क्रमांक	विवरण	मात्रा	शुद्ध राशि
1.	दिनांक.................. से दिनांक.............. के बीच कुल खरीदी मात्रा एवं भुगतान की राशि संलग्न(दो प्रति) कृषक सूची के अनुसार, कृषक पर्ची सहित		
2.	घटाईये, पूर्व प्रस्तुत अंतरिम देयकों से प्राप्त राशि.		

प्रस्तुति का विवरण				भुगतान का विवरण		
देयक	दिनांक	मात्रा	राशि	क्रमांक	दिनांक	राशि

....

1. शुद्ध राशि ....
2. अन्य विवरण ....
3. अन्य कटौत्रे(बारदाना आदि के संबंध में) ....

देयक की कुल राशि

* नोटः- मंडी शुल्क/निराश्रित टेक्स के भुगतान की जिम्मेदारी म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की है ।

व्यवस्थापक
एजेण्ट समिति.

परिशिष्ट-07.

धान खरीदी की दैनिक जानकारी दिनांक..

जिला/संभागः ....

मात्रा मे0टन में.

समर्थन मूल्य में समितियों द्वारा खरीदी							
क्रमांक	जिले का नाम/ केन्द्र का नाम	धान मोटा		धान ग्रेड-ए		कुल प्रगतिशील खरीदी	
		आज की खरीदी	प्रगतिशील खरीदी	आज की खरीदी	प्रगतिशील खरीदी	धान मोटा	धान ग्रेड-ए
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.

* नोटः-

1. धान खरीदी में समितियों द्वारा वास्तविक रूप से खरीदी के आंकड़े दिए जाएं । जिले को केन्द्रवार खरीदी की जानकारी पाक्षिक रूप से माह की 01 तारीख व 16 तारीख को अनिवार्यतः भेजी जाए ।
2. जिला प्रबंधक द्वारा जिले की प्रतिदिन की खरीदी की एकजाई जानकारी प्रतिदिन तथा केन्द्रवार जानकारी पाक्षिक रूप से क्षेत्रीय प्रबंधक को दी जाए ।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक जिलेवार एकजाई संकलित जानकारी प्रतिदिन तथा जिलेवार/ केन्द्रवार जानकारी पाक्षिक रूप से मुख्यालय को भेजें ।

जिला/क्षेत्रीय प्रबंधक.

परिशिष्ट-08 "अ"

खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में समर्थन मूल्य अंतर्गत धान उपार्जन हेतु बारदानों की साप्ताहिक जानकारी.

साप्ताहिक-प्रतिवेदन.

दिनांकः- ....

जिले में पूर्व अवशेष बारदाने	अन्य जिलों से प्राप्त	डी0जी0एस0 एंड डी0/ नॉफेड से प्राप्त	जिले में कुल उपलब्ध बारदाना	धान उपार्जन समितियों को प्रदाय बारदाने	जिले में अवशेष	आगामी 15 दिवस हेतु अनुमानित	रिमार्क
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**

* नोट

यह पत्रक प्रत्येक शनिवार को मुख्यालय में प्राप्त हो जाए, यह सुनिश्चित करें ।

जिला/क्षेत्रीय प्रबंधक.

परिशिष्ट-08 "ब"

समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान खरीदी की प्रगतिशील जानकारी सप्ताहांत...............

क्र0	जिला	समिति द्वारा किस्मवार खरीदी गई धान की मात्रा			धान की कीमत का भुगतान		परिवहन की गई मात्रा	परिवहन हेतु शेष मात्रा	मिलिंग की गई मात्रा	मिलिंग हेतु शेष	प्रदाय की गई धान के विरूद्ध अपेक्षित चावल की मात्रा
		मोटा	ग्रेड ए	कुल	समितियों को	शेष भुगतान					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

मिलर को प्रदायित धान के विरूद्ध प्राप्त कष्टम मिल्ड चावल की मात्रा			विपणन संघ से प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा			मिलर से प्राप्त लेवी चावल की मात्रा			कुल मात्रा		
कामन	ग्रेड ए	कुल	कामन	ग्रेड ए	कुल	कामन	ग्रेड ए	कुल	कामन	ग्रेड ए	कुल
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

प्रदाय केन्द्रों को प्रेषित चावल की मात्रा			विपणन संघ को किये गये भुगतान का विवरण			लेवी चावल के विरूद्ध भुगतान का विवरण		
कामन	ग्रेड ए	कुल	देय राशि	भुगतान की राशि	शेष राशि (कारण सहित)	देय राशि	भुगतान की राशि	शेष राशि (कारण सहित)
25	26	27	28	29	30	31	32	33

* नोटः-

जानकारी प्रत्येक शनिवार को अनिवार्यतः मुख्यालय भेजी जाए ।

जिला प्रबंधक द्वारा सप्ताहान्त उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता व मात्रा की पुष्टि के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

अवधि दिनांक......... से दिनांक........ तक

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला...................... में खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में स्थापित................उपार्जन केन्द्रों पर निम्नानुसार मात्रा में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान का उपार्जन किया गया हैः-

(मात्रा क्विंटल में)

धान कॉमन
धान ग्रेड"ए"

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समितियों द्वारा उपार्जित एवं भंडारित किया गया उक्त स्कंध भारत शासन द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप एफ0ए0क्यू0 है ।

हस्ताक्षर
जिला प्रबंधक
म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0
....

मंडी में सप्ताह में धान की कुल आवक दरें व अन्य मात्रा का पत्रक.

जिला.. सप्ताहांत दिनांक.........................

मंडी का नाम...............................

1. मंडी में सप्ताह के दौरान धान की कुल आवक - मोटा- ग्रेड-ए -योग
2. मंडी में सप्ताह के दौरान धान की एवरेज दरें - मोटा- ग्रेड-ए

हस्ताक्षर जिला प्रबंधक.

नोटः- उक्त जानकारी प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य रूप से मुख्यालय भेजी जाए ।

3. समिति स्तर से धान की परिवहन की गई मात्रा
4. समितियों को भुगतान की स्थिति.

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर.

परिशिष्ट-11.

एजेण्ट सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली कृषकवार उपार्जन तथा भुगतान की पंजी

केन्द्रः ....   वस्तुः धान मोटा/धान ग्रेड ए
औसत अच्छी किस्म(एफ0ए0क्यू0)

क्रमांक	दिनांक	कृषक का नाम व पता	भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक	मात्रा	ग्रेड	दर	राशि	भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर
01	02	03	04	05	06	07	08	09
दिनांक का योग								
प्रगतिशील खरीदी का योग								

हस्ताक्षर
व्यवस्थापक/सचिव, समिति

* नोटः- प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग पंजी रखी जाए और एक अतिरिक्त प्रति भी तैयार की जाकर उक्त प्रति को देयक के साथ प्रस्तुत की जाए।